राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– थालडका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 27 सन 2018

अनवान :–

1. धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. जीराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. पेमाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
3. देवाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. मानाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. ज्याना उर्फ जमना पुत्र भूराराम पत्नि बालूराम जाति नायक निवासी बादडिया तहसील सरदार शहर जिला चुरू
6. दुलाराम 7 पूर्णराम पि0 माता चावली पुत्री भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. कालीदेवी उर्फ गोमती 9. सन्तोदेवी 10 मैनादेवी 11 सरेश देवी पि0 माता चावली पुत्री भूराराम जाति नायक साकिन भावलेदसर तहसील नोहर।

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 72/2011 की कुल 22.0743हैक भूमि में से 5.518575 हैक भूमि भूराराम वल्द छोगाराम काश्तकार है। भूराराम वल्द छोगाराम का देहान्त हो गया जिनके जायज वारिसान पांच पुंत्र दो पुत्रीया कुल 7 वारिस है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व कमला है कमला पुत्री भुराराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है। अर्थात भुराराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 जो भुराराम की सम्पति के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भूराराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 हैं जो वाद भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पूर्वज भूराराम के नाम से दर्ज है भूराराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है जो वाद भूमि के हकदार है।

वादी के कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या

1 ता 5 के हकों की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। व राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टॉम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता 72/211 की कुल 22.0743हैक्ट भूमि में से भूराराम के नाम दर्ज 5.518575हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–थालडका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–थालडका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 जीराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. पेमाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
3. देवाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. मानाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. ज्याना उर्फ जमना पुत्र भूराराम पत्नि बालूराम जाति नायक निवासी बादडिया तहसील सरदार शहर जिला चुरू
6. दुलाराम 7 पूर्णराम पि0 माता चावली पुत्री भूराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तसील नोहर।
7. कालीदेवी उर्फ गोमती 9. सन्तोदेवी 10 मैनादेवी 11 सरेश देवी पि0 माता चावली पुत्री भूराराम जाति नायक साकिन भावलेदसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 27 सन 2018 निर्णय दिनांक–15.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता 72/211 की कुल 22.0743हैक भूमि में से भूराराम के नाम दर्ज 5.518575हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SAZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–थालडका